

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(या)()डीएलबी/20/17277

दिनांक: 7-12-2020

अधिसूचना

डेयरी बूथ संचालकों द्वारा जमा कराये जाने वाले किराया राशि के जमा नहीं कराने की स्थिति में ब्याज लिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा राज्य की समस्त नगरीय निकायों में संचालित डेयरी बूथ धारकों द्वारा वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तक का समस्त बकाया किराया एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त छूट दिनांक 31.03.2021 तक प्रभावी रहेगी।



(दीपिका नन्दी) -

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(या)()डीएलबी/20/17278-17503 दिनांक: 7-12-2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
8. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी